(भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II, खण्ड–3, उप खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन

अधिसूचना सं0 55/ 2015–2020
नई दिल्ली, दिनांकः 15 जनवरी, 2019

विषयः आईटीसी (एचएस) 2017, अनुसूची–I (आयात नीति) के एचएस कोड 29362920 के अंतर्गत निकोटिनिक एसिड और निकोटिनामाइड (नियासिनामाइड/नियासिन) की नीतिगत शर्त में संशोधन।

सा.आ.(अ.): समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा आईटीसी (एचएस) 2017, अनुसूची–1 (आयात नीति) के एचएस कोड 29362920 के अंतर्गत निकोटिनिक एसिड और निकोटिनामाइड (नियासिनामाइड/नियासिन) की नीतिगत शर्त में निम्नानुसार संशोधन करती हैः–

एक्जिम कोड	मद विवरण	मौजूदा नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
29362920	निकोटिनिक एसिड और निकोटिनामाइड (नियासिनामाइड/नियासिन)	मुक्त	नीतिगत शर्त सं० 3 के अधीन	–

2. **इस अधिसूचना का प्रभावः** अब तक निकोटिनिक एसिड और निकोटिनामाइड (नियासिनामाइड/नियासिन) का आयात स्वापक आयुक्त, ग्वालियर से मद के आयात से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने के अधीन 'मुक्त' था। निकोटिनिक एसिड और निकोटिनामाइड (नियासिनामाइड/नियासिन) के आयात हेतु इस नीतिगत शर्त को तत्काल प्रभाव से हटाया जा रहा है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एंव
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ईमेलः– dgft@nic.in

[फा0 सं0 01/89/180/विविध–3/एएम–04/पीसी–2(क)/खंड IV (ई–1877) से जारी]

टिप्पणीः मुख्य अधिसूचना सं. 39/2015–2020 दिनांक 3 अक्तूबर, 2018 को भारत के राजपत्र असाधारण सा.आ.स.–5105(अ) दिनांक 3 अक्तूबर, 2018 के द्वारा प्रकाशित किया गया।